संख्या- 9 /2020/ए-1- 306 /दस-2020-10(65)/2014

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ - दिनांक - 22 अप्रैल, 2020**

विषय - प्रदेश के पेंशनरों /पारिवारिक पेंशनरों के लिये डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के लिये डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की व्यवस्था शासनादेश संख्या-19/2016/ए-1-907/दस-2016-10(65) /2014, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा लागू की गयी है। इस शासनादेश के अनुसार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) को जनरेट करने हेतु पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को अपने सम्बन्धित कोषागार में पेंशन प्राधिकार पत्र (पी0पी0ओ0), आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक लेकर उपस्थित होने की अनिवार्यता है।

2- केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2014 द्वारा पेंशनर्स को, अधिसूचित राजकीय संस्था के माध्यम से आधार बायोमेट्रिक अँथेन्टिकेशन आधारित आनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था में पेंशन प्रदान करने वाली एजेन्सी (पी0डी0ए0) पेंशनर को स्वयं उपस्थित होने के लिये बाध्य नही करेगी।

3- अत: इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स भी अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र www.jeevanpramaan.gov.in बेबसाइट के माध्यम से जीवन प्रमाण एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुये जमा कर सकते हैं। इसके लिये उन्हें कोषागार आने की अनिवार्यता नहीं होगी।

4- कोषागारों द्वारा जीवन प्रमाण एप्लीकेशन से पेंशनर के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं को कोषागार में उपलब्ध पेंशनर के रिकार्ड से मिलाया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन भुगतान त्रुटिपूर्ण न हो।

भवदीय
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 9 /2020/ए-1- 306(1)/2020-10(65)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

3- प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/ द्वितीय उत्तर प्रदेश।

5- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)- प्रथम/ द्वितीय उत्तर प्रदेश।

6- मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई।

7- मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर।

8- निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

9- निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश।

10- मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई।

11- मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

12- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

13- नियंत्रक, रक्षा लेखा (पेंशन), इलाहाबाद।

14- एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।